८६

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरुआ बनाम हुकम मानक पिo मदीलाल जाट खेडलीतर्फ रेला

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

निर्णय दिनाँक :- 26/8/18

प्रकरण संख्या - 84/2018/RA

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेडलीतर्फरेला की आ.ख.न. 160 कुल रकबा 0.09 किस्म जमीन गैरमुमकरास्ता में से 0.01 रकबे पर श्री हुकममानक पिoमदीलालजाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर खूडा लकडी कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरुआ द्वारा दिनाँक 27/8/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. धारौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी हुकम, मानक पिo मदीलाल जाति जाट निवासी खेडलीतर्फ रेला को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा ओ.ख.न. 160 रकबा 0.09 में से 0-01 रकबे किस्म गैरमुमकरास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paise का 50 गुणा 3/- तीनरुपये रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरुआ भू.अ.निरी. धारौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) रा

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)

प्रतिलिपि :- प. ह को पालनार्थ बरमापटी जमल पेश हो।